

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 04-3-16 पारित द्वारा सदस्य राजस्व मंडल, म0प्र0,  
ग्वालियर प्रकरण क्रमांक निगरानी 783-एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक  
1-2-16 पारित द्वारा कलेक्टर, जबलपुर प्रकरण क्रमांक  
02/अ-21/2015-16.

श्री मनोज कुमार बरकडे (गौंड) उम्र 33 वर्ष  
पिता श्री सुखलाल बरकडे ( गौंड)  
निवासी म.नं. 49 ग्राम चंदेरी पोस्ट घाट पिपरिया  
थाना बरगी जिला जबलपुर म.प्र.

----- आवेदक

विरुद्ध

1- श्री कमलेश रैदास उम्र 37 वर्ष  
पिता स्व. श्री बट्टीप्रसाद रैदास  
निवासी म.नं. 48 बड़ी मदार टेकरी,  
जबलपुर म.प्र.

2- म0प्र0 शासन द्वारा

----- अनावेदकगण



XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगम 783-एक/16

जिला - जबलपुर


स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-3-16	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 01-02-16 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का परिशीलन किया। यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है जिसमें आवेदक द्वारा ग्राम घाटपिपरिया प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 68, 72 रकबा क्रमशः 0.300, 0.150 हेक्टर कुल रकबा 0.450 हेक्टर भूमि अनावेदक श्री कमलेश रैदास को विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन अतिरिक्त तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया। जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा कय की गई है। कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है कि प्रस्तावित भूमि पर आवेदक के नाम की प्रविष्टि तहसीलदार के आदेश दिनांक 20-4-15 द्वारा की गई है और उसके पांच माह बाद आवेदक द्वारा भूमि विक्रय का अनुबंध किया गया है, इस कारण अंतरण संदेहास्पद है और आवेदक के हितों के विरुद्ध है। कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भूमि कय किये जाने अथवा अभिलेख में नाम दर्ज होने के पांच माह बाद उसका अंतरण नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वा आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल</p>	

*[Handwritten Signature]*

R 782-7/16 (जाबलपुर)

मनोज कुमार बरकडे (गौंड) विरुद्ध कमलेश रैदास आदि

-2-

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>रहा है। प्रस्तावित भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 7.15 हेक्टर भूमि शेष रहेगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अंतरण में कल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर कलेक्टर ने आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है, वे आधार न्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं हैं इस कारण उनका आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 1-2-16 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए उसको, उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम घाटपिपरिया प.ह.नं. 39 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 68, 72 रकबा क्रमशः 0.300, 0.150 हेक्टर कुल रकबा 0.450 हेक्टर भूमि अनावेदक श्री कमलेश रैदास को विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।</li><li>2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अधिक राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।</li><li>3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयवधि में निष्पादित करना अनिवार्य होगा।</li></ol> <p>यह निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है। पक्षकार सूचित हों एवं प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।</p>	<p> सदस्य</p>

ke